न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3645–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–7–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 132/अपील/20123–14.

1–श्रीमती लक्ष्मीबाई वेबा शिवराम

2–सतीश कुमार आ0शिवराम

दोनों निवासी ग्राम टिमरनी वार्ड कमांक 15 टिमरनी

तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–आदित्य कुमार आ0 मनोहरलाल गर्ग

2–श्रीमती सुशीलाबाई बेवा मनोहरलाल गर्ग

दोनों निवासी कृष्ण कुन्ज कॉलोनी वार्ड 13,

टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0. .....अनावेदकगण

श्री एस0एस0पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम निमाचाकलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 4.209 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु अनावेदक कमांक 1 के द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सीमांकन में अनावेदक की भूमि रकबा 0.80 एकड़ पर आवेदक का अवैध कब्जा पाये जाने पर अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत तहसीलदार रहटगॉव के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–9–2011 को आदेश पारित कर बेदखली का आदेश दिया गया । तहसीलदा के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–2–2014 को आदेश पारित कर अपील खारिज की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 16–7–2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1976 में खरीदी है और खरीदी दिनांक से ही भूमि काबिज कास्त है एवं उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर चले आ रहे है ।

(2) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । आवेदक सहित पडोसी कृषकों को सीमांकन किये जाने संबंधी कोई नोटिस तामीली तहसील न्यायालय द्वारा नहीं कराये गये है । राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई है ।

(3) आवेदकगण का भूमि पर कोई बेजा कब्जा नहीं था । आवेदकगण द्वारा भी सीमांकन आवेदन दिया गया था पर उनकी भूमि का सीमांकन नहीं किया गया, जबकि उनके द्वारा सीमांकन किये जाने संबंधी राशि का चालान भी जमा किया था ।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण जब प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी नहीं थे और उनका अनोवदक की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा था तो उन्हें सूचना दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

(2) आवेदकगण के द्वारा सीमांकन को अपनीअपील /निगरानी में चुनौती देने के तर्क प्रस्तुत किये है जो कि निराधार है ।

(3) आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के गलत रूप से जानकारी प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है कि उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उसके पूर्व भूमिस्वामी उसके पति शिवराम निम्न न्यायालय में पक्षकार रहे है इसलिये पूर्व भूमिस्वामी पर हुये आदेश से आवेदकगण पूर्ण रूप से बंधनकारी है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर आदेश पारित किये गये हैं जिसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल करने की कोई गुन्जाईश नहीं है । आवेदक की निगरानी बेबुनियाद है ।

(5) आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कीहै और उनके द्वारा सीमांकन की वैधानिकता की जॉच कराने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय और इस न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जबकि विधि अनुसार धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की वैधानिकता की जॉच किया जाना न्यायहित में वर्जित है।

उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाकर भूमि का कब्जा दिलाये जाने के साथ हर्जाना राशि दिलाये जाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदिका कमांक 1 के पति शिवराम पक्षकार थे । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–9–2011 को आदेश पारित किया गया है और शिवराम की मृत्यु दिनांक 17–12–2011

को हुई है । शिवराम की पत्नि आवेदिका लक्ष्मीबाई द्वारा अपील दिनांक 24–5–2013 को की गई है । पति की मृत्यु के कारण अपील में हुआ विलम्ब सद्भाविक माना जायेगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 के आवेदन पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं कर अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई है, जबकि आवेदिका की उक्त परिस्थितियों को देखते हुये अनुविभागीय अधिकारी को अपील समय सीमा में मान्य करना चाहिये थी । अपर आयुक्त द्वारा भी इन परिस्थितियों पर विचार नहीं कर अपील अस्वीकार करने में त्रुटि की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य कर अपील का गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–2015 अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–2–2014 निरस्त किये जाते है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी को अपील को समय सीमा में मान्य कर अपील का गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर